

11/3/26

पत्रावली काज पेश हुई। प्रार्थना
वक्रील उपस्थित। मूल वाड का नितारण
हो चुका है मूल वाड का नितारण होने
के प्रार्थना पत्र अलग से चलाये जाने का
कोई औचित्य नहीं होने से मूल वाड
के साथ-साथ उक्त प्रार्थना पत्र हल्ली
दफ्तर पर धारिज किया जाता है पत्रावली
केवल शुमार होकर उपस्थित दफ्तर हो
एक नम्बर से का हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

